बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या– 95 दिनांक: 21/4/15

1. एकरारनामा के प्रारूप SBD/ CMBD में समयवृद्धि की स्वीकृति के साथ Price neutralization की निम्न व्यवस्था हैं :–

SBD /CMBD

1.1 Clause-5/C5

The time allowed for execution of the Works as specified in the Schedule 'F' or the extended time in accordance with these conditions shall be the essence of the Contract. The execution of the works shall commence from such time period as mentioned in letter of acceptance or from the date of handing over of the site whichever is later. If the Contractor commits default in commencing the execution of the work as aforesaid Government shall without prejudice to any other right or remedy available in law, be at liberty to forfeit the security deposit absolutely.

1.2 5.1 As soon as possible after the contract is concluded the Contractor shall submit a Time & Progress Chart for each milestone and get it approved by the Department. The Chart shall be prepared in direct relation to the time stated in the Contract documents for completion of items of the work. It shall indicate the forecast of the dates of commencement and completion of various trades or sections of the work and may be amended as necessary by agreement between the Engineer-in-Charge and Contractor within the limitations of time imposed in the contract documents, and further to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall in all cases in which the time allowed for any work, exceeds one month (save for special jobs for which a separate Programme has been agreed upon) complete the work as per milestone given in schedule 'F'.

1.3 5.2 If the work(s) be delayed by

i) force majeure, or

ii) Serious loss or damage by fire, or

iii) Civil commotion, local.

iv) delay on the part of other contractors or tradesmen engaged by Engineer-in-Charge in executing work not forming part of the Contract. or

v) non-availability of stores, which are the responsibility of Government to supply or

vi) non-availability or break down of tools and Plant to be supplied or supplied by Government or

vii) **any other cause which, in the absolute discretion of the authority mentioned in Schedule 'F' is beyond the Contractor's control.**

then upon the happening of any such event causing delay, the Contractor shall immediately give notice thereof in writing to the Engineer-in-Charge but shall nevertheless use constantly his best endeavors to prevent or make good the delay and shall do all that may be reasonably required to the satisfaction of the Engineer-in-Charge to proceed with the works.

1.4 5.3 Request for the rescheduling of Milestones and extension of time, to be eligible for consideration, shall be made by the contractor in writing within fourteen days of the happening of the hindering event causing delay on the prescribed form. The Contractor may also, if practicable, indicate in such a request the period for which extension is desired.

1.5 5.4 In any such case the authority mentioned in Schedule 'F' may give a fair and reasonable extension of time and reschedule the milestones for completion of work. Such extension shall be communicated to the Contractor by the Engineer-in-Charge in writing, within 3 months of the date of receipt of such request. Non application by the contractor for extension of time shall not be a bar for giving a fair and reasonable extension by the Engineer-in-Charge and this shall be binding on the contractor.

1.6 5.5 The basic centerline, reference points and benchmarks will be fixed by the department. the contractor shall established at his own cost at suitable points, additional reference lines and bench marks as may be necessary and instructed by the engineer-in-charge. the contractor shall remain responsible for the sufficiency and accuracy of all the bench marks and reference lines.

1.7 Clause 5A/C5A

The Engineer may require the contractor to attend a progress review meeting during execution of work.

The Engineer shall record the minutes of the meeting and provide a copy to the Contractor for compliance. These minutes will be a part of evidence in case of any request for extension of time or impunitive action against the contractor.

1.8 Clause 10 CA (SBD)

If after submission of the tender, the price of cement or steel, reinforcement bars/bitumen incorporated in the works (not being a material supplied from the Engineer-in-Charge's stores in accordance with Clause 10 thereof) increase(s) beyond the price(s) prevailing at the time of the last stipulated date for receipt of tenders (including extensions, if any) for the work, then the amount of the contract shall accordingly be varied and provided further **that any such increase shall not be payable if such increase has become operative after the stipulated date of completion of work in question.**

1.9 If after submission of the tender, the prices of cement and/or steel reinforcement bars/bitumen incorporated in the works (not being a material stipulated from the Engineer-in-Charge's stores in accordance with the Clause 10 thereof) is decreased, Government shall in respect of these materials incorporated in the works (not being materials supplied from the Engineer-in-Charge's stores in accordance with Clause 10 thereof) be entitled to deduct from the dues of the contractor such amount as shall be equivalent to the difference between the prices of Cement and/or Steel reinforcement bars/bitumen as prevailed at the time of last stipulated date for receipt of tenders including extensions if any for the work and the prices of these materials on the coming into force of such base price of cement and/or steel reinforcement bars/bitumen issued under authority of Schedule of Rate Committee.

1.10 The increase/decrease in prices shall be determined by the all India Wholesale Price Indices for Cement and .Steel (bars and rods) as published by Economic Advisor to Government of India. Ministry of Commerce and Industry and base price for cement and/or steel

reinforcement bars/bitumen as issued under authority of Schedule of Rate Committee as valid on the last stipulated date of receipt of tender, including extension if any and for the period under consideration.

1.11 Clause 10CC (SBD)

Contract price shall be adjusted for increase or decrease in rates and price of labour, materials, fuels and lubricants in accordance with the following principles and procedures and as per formula given in the contract data:

(a) The price adjustment shall apply for the work done from the start date given in the contract data upto end of the initial intended completion data or **extensions granted by the Engineer and shall not apply to the work carried out beyond the stipulated time for reasons attributable to the contractor.**

(b) Following expressions and meanings are assigned to the work done during each month:

R = Total value of work done during the month. It would include the amount of secured advance granted, if any, during the month, less the amount of secured advance recovered, if any during the month. It will exclude value for works executed under variations for which price adjustment will be worked separately based on the terms mutually agreed.

(c) To the extent that full compensation for any rise or fall in costs to the contractor is not covered by the provisions of this or other clauses in the contract, the unit rates and prices included in the contract shall be deemed to include amounts to cover the contingency of such other rise or fall in costs.

(viii) In contract where clause 10CA is applicable, this clause 10CC will not be applicable and in contract where this clause 10CC is applicable previous clause 10CA will not be applicable.

1.12 CMBD की कंडिका C10CA में निम्न प्रावधान है :–

The price adjustment shall apply for the work done from the start date up to end of Intended Completion Date or until extended time granted by the Engineer.

2. एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में कार्य को पूरा करने हेतु अवधि विस्तार के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विभाग में प्राप्त होते हैं। विभिन्न एकरारनामा प्रारूपों के प्रावधानों के आलोक में समयवृद्धि की स्वीकृति दिए जाने के साथ विस्तारित अवधि के लिए Price neutralization की देयता पर भी विचार करना उचित रहता है। इस हेतु विभागीय मार्ग दर्शक सिद्धान्त निरूपित किए जाने की आवश्यकता है।

3. **सम्यक विचारोपरांत निम्न मार्गदर्शक नीति निर्धारित किये जाते है :–**

3.1 समयवृद्धि हेतु समर्पित प्रस्तावों में निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट सूचना उपलब्ध करायी जाय :–

3.1.1 एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि एवं कार्य पूरा करने की तिथि के बीच Non working period को समाहित किया गया है अथवा नही।

3.1.2 काफी विलम्ब से समयवृद्धि का प्रस्ताव समर्पित करने का साक्ष्य सहित कारण।

3.1.3 एकरारनामा के प्रावधानों के अधीन संवेदक द्वारा प्रस्तावित एवं विभाग द्वारा अनुमोदित Work programme के अन्तर्गत निर्धारित माइल स्टोन के आलोक में कार्य के दौरान व्याप्त अवरोधों (encurmbance) के समाधान हेतु विभिन्न क्षेत्रीय स्तर पर की गई कार्रवाई का विवरण।

3.1.4 व्याप्त अवरोध (encurmbance) का संवेदक द्वारा कार्यप्रमंडल एवं अन्य कार्यालयों को ससमय दी गई सूचना का विवरण।

3.1.5 समयवृद्धि के अनुशंसा में, निर्धारित अवधि तक कार्य पूरा नहीं होने के लिए जिन कारणों का उल्लेख किया गया है उसके समर्थन में स्पष्ट एवं स्वीकार योग्य साक्ष्य।

3.1.6 अवरोध के कारण कितने कार्य दिवस तक कार्य प्रभावित रहा और उसी के समानुपातिक कार्य अवधि विस्तार का प्रस्ताव है अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों ?

3.1.7 बिटुमेन की अनुपलब्धता की स्थिति में दूसरे dump से बिटुमेन प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाई एवं साक्ष्य।

3.2 कंडिका 1.3 के प्रावधान को निम्नवत स्पष्ट किया जाता है :–

3.2.1 प्राकृतिक आपदा (Force meajure) जैसे अप्रत्याशित बाढ़ (unprecedented flood) इत्यादि।

3.2.2 नक्सल गतिविधि/गंभीर कानून व्यवस्था मामलों के कारण गम्भीर (Serious) हानि या नुकसान/क्षति (damage)।

3.2.3 अन्य संवेदक, अन्य लोक कार्य विभाग, Utilities द्वारा किया जा रहा कार्य जो ससमय पूरा नहीं हुआ और इसके कारण विषयांकित कार्य प्रभावित हुआ।

3.2.4 यदि विभाग द्वारा कोई सामग्री निर्गत किया जाता है और समय पर निर्गत नहीं किया गया है।

3.2.5 यदि सरकारी प्लांट से कार्य कराने की बाध्यता है तो प्लांट के breakdown.

3.2.6 वैसे पथांश (Section) जो

(1) भूमि अधिग्रहण

(2) Utility shifting

(3) Forest/environmental clearance से प्रभावित है।

3.2.7 एकरारनामा के Bill of quantity में अंकित कार्य एवं मात्रा के अतिरिक्त आदेशित अन्य कार्य।

3.2.8 विभाग को स्वीकार्य अन्य विशेष प्रकृति के कारण जिसके बारे में पूर्वानुमान सम्भव नहीं था।

4. **Price neutralization** की देयता के सम्बन्ध में निम्नवत् नीति का अनुपालन किया जायेगा :–

4.1 SBD आधारित वैसे कार्य/मूल कार्य जिसे पूरा करने की एकरारित अवधि 18 माह अथवा 18 माह से कम है एवं SBD के Clause of Contract की कंडिका 10CA प्रभावी है :–

4.1.1 उक्त कंडिका 3.2 में अंकित कारण/कारणों से (जिसके समर्थन में स्वीकार योग्य साक्ष्य उपलब्ध है) समयवृद्धि की स्वीकृति की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए कोई Price neutralization देय नहीं होगा। यानि एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index ही विस्तारित अवधि के लिए लागू होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम है तो विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

4.1.2 कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत अतिरिक्त समय एवं मूल एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की अवधि का योग यदि 18 माह से अधिक हो जाता है, फिर भी किसी भी परिस्थिति में 10CC लागू नहीं होगा।

4.2 SBD आधारित वैसे कार्य/मूल कार्य जिसे पूरा करने की अवधि 18 माह से अधिक है :–

4.2.1 उक्त कंडिका 3.2 में अंकित कारण/कारणों से (जिसके समर्थन में स्वीकार योग्य साक्ष्य उपलब्ध है) देय समयवृद्धि की स्वीकृति की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के अनुसार विस्तारित अवधि के लिए भी 10CC के अधीन Price neutralization देय होगा।

4.2.2 उक्त कंडिका 3.2 में अंकित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य विशिष्ट कारणों से समयवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है तो विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के आधार पर Price neutralization देय नहीं होगा। यानि एकरारनामा के अनुसार कार्य पूरा करने की तिथि को लागू Price Index ही विस्तारित अवधि के लिए लागू होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम है तो विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

4.3 CMBD आधारित कार्य हेतु Clause of Contract की कंडिका C10CA के प्रावधानों के अधीन भी उक्त 4.2.1 तथा 4.2.2 लागू होगा।

4.4 F_2 आधारित एकरारनामा के लिए विभागीय पत्रांक 3943(एस) दिनांक 18.03.2008 द्वारा निम्न निदेश निरूपित है :–

4.4.1 राज्य सरकार के निर्णयानुसार अब वर्त्तमान में चल रहे अथवा भविष्य में किए जाने वाले F_2 contract document के तहत कार्यों के लिए SBD में उपबंधित Bitumen price neutralization के उपबंध को लागू किया जाता है। Bitumen के दर में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी के neutralization का सामंजन Standard Bidding Document के Clause 10CA/10CC में निरूपित फॉमूला के अनुसार बढोत्तरी/धटोत्तरी का सामंजन किया जायेगा।

4.4.2 वैसे कार्य, जिनके लिये पूर्व प्रावधान के अनुसार F_2 एकरारनामा पर निविदा प्राप्त कर लिये गये हैं और निविदा अनुमोदन की प्रक्रिया में है अथवा निविदा अनुमोदित है अथवा F_2 एकरारनामा आधारित कार्य प्रगति पर है, के लिए निर्णयानुसार कार्य से संबंधित संवेदक से दावा (Claim) प्राप्त होने पर bitumen के दर में बढोत्तरी का neutralization उपबंधित फॉर्मूला के अनुसार प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। इसमें bitumen का base दर निविदा के अनुमोदन की तिथि को लागू प्राधिकृत bitumen का दर होगा।

4.4.3 उक्त प्रावधान उन्हीं एकरारनामा पर लागू होगा जो समय–सीमा के अन्तर्गत चल रहा हो अथवा जिनके लिए समयवृद्धि सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत हो।

4.4.4 उक्त प्रावधान मात्र bitumen पर ही लागू होगा।

4.4.5 यह आदेश राज्य निधि से कराये जा रहे कार्यों पर ही लागू रहेगा।

4.5 कंडिका 3.2 एवं इसके उक्त कंडिकाओं में अंकित कारणों से F_2 आधारित कार्यों हेतु समयवृद्धि के लिए प्राप्त अनुशंसा पर यदि समयवृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है तो विस्तारित अवधि के लिए विटुमेन का price neutralization देय होगा। विशिष्ट परिस्थिति में यदि अन्य कारणों से समयवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है तो Bitumen का Price neutralization देय नहीं होगा।

4.6 इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के बाद आमंत्रित सभी निविदाओं में विभागीय पत्रांक–3943 (एस) दि० 18.03.2008 के प्रावधान एवं संबंधित अन्य निर्देशों में निहित प्रावधानों को समाप्त किया जाता है।

5. अन्य निर्देश निम्नवत् है :–

5.1 SBD/CMBD की Clauses of Contract की कंडिका 5.1/C5.1 एवं Contract data के Schedule-F के अनुसार कार्यो की भौतिक milestone भी निर्धारित की जाय ताकि encumbrance free site के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर कार्य सम्पादित हो और व्यवधान रहित पथांश में ससमय कार्य सम्पादित हो जाय। कार्यो के वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा और कार्य के

दौरान आ रहे व्यवधान का सामाधान हेतु कार्यपालक अभियंता के स्तर पर प्रत्येक माह के निर्धारित तिथि को संवेदक के साथ बैठक आयोजित की जाय। बैठक की कार्यवाही उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाय। कार्य स्थल पर आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु ससमय प्रयास किया जाय।

6 मुख्य अभियंता अपने स्तर से समयवृद्धि का अनुशंसा भेजते समय इस आशय का समीक्षा अवश्य करेंगे कि कार्य के दौरान आई अवरोधों (encurmbance) के सामाधान हेतु कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई है। संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तत्परता से नियमानुकुल कार्रवाई नही की गई है तो साक्ष्य के साथ उनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा भी करेंगे।

7 उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

20.4.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–274/14 3505(S) पटना, दिनांक 21/4/15

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, रा०उ०प० सहित/सभी अधीक्षण अभियंता, रा०उ०प० अंचल सहित/सभी कार्यपालक अभियंता, रा०उ०प० प्रमंडल सहित, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.4.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–274/14 3505(S) पटना, दिनांक 21/4/15

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20.4.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–274/14 3505(S) पटना, दिनांक 21/4/15

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.4.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

20/4/15